

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

शीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज .....बनाम..... मु.नं.- 52/25 किस्म - 09R5 फल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------	--	--

वकील बनाम रामवतार

मु.नं.- 52/25 किस्म - 09R5 फल

04.07.09 को वकील ने अनाम श. पत्र  
09R5 फल पेश न कर सीधे अहस हेतु मियेदन  
किया। श. पत्र 09R5 फल पर उभय पक्ष द्वि  
कारि कार्य को अहस सुनी गई। पत्रावली वाले  
आदेश श. पत्र 09R5 फल दिनांक 28.10.25  
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

28.10.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय  
पक्ष उपस्थित। प्राथमिक शर प्रस्तुत श. पत्र  
वाजदापरी अर्थात् आदेश 9 नियम 9 भा.पी  
अनुक्त पत्रावली दावा मु.नं. 09/22 उनवान  
द्वारा को बनाम रामवतार को मु.नं. नम्बर  
पर लेने का अद्योक्तन किया। अहस का मनन  
किया। प्राथमिक श. पत्र वाजदापरी अर्थात्  
आदेश 9 नियम 9 भा.पी स्वीकार किया  
जाला है। एवं पत्रावली श. पत्र दावा मु.नं.  
09/22 उनवान द्वारा द्वारा को बनाम रामवतार  
को मु.नं. नम्बर पर लिखे जाये हे आदेश  
दिने जाते है। पत्रावली फैसल सुभार होकर  
वाकिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)